प्ररूप-I

[देखिए नियम 3]

लोकायुक्त, हरियाणा के समक्ष शिकायत का प्ररूप

शिकायतकर्ता ----------------------------------- पुत्र/पुत्री/पत्नी---------------------
-----------(व्यवसाय, निवास इत्यादि का वर्णन जोड़ें) --
----------------- पुत्र/पुत्री/पत्नी ---
कार्यालय में कार्यरत, के विरुद्ध आरोप के मामले में/उपरोक्त नामित शिकायतकर्ता की संतुष्टि हो गई है कि उपरोक्त लोक सेवक—

(i) अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित नुकसान पहुंचाने के लिये अपनी हैसियत का जानबूझकर या साशय दुरुपयोग किया है; और/या।

(ii) भ्रष्ट उद्देश्यों द्वारा ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन में प्रेरित था; तथा/या

(iii) भ्रष्टाचार का दोषी है; तथा/या .

(iv) अपनी आय के ज्ञात स्त्रोत की सम्पत्ति की अनुपातहीनता में से आर्थिक स्त्रोत उसके कब्जे में हैं तथा ऐसे आर्थिक स्त्रोत या सम्पत्ति व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोक सेवक या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित किये गए हैं/की गई हैं।

(ऐसे खण्ड तथा खण्डों को, जो शिकायत से सुसंगत न हों, काट दें।)

अपराधों के समर्थन के लिये शिकायतकर्ता निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है तथा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत कर रहा है :—

(1)

(2)

(3)

(4)

शिकायतकर्ता ने किसी अभिकरण/किसी विधि न्यायालय/मामले का निर्णय करने के लिये सशक्त किसी प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के द्वारा इसी मामले में किसी उपचार का सहारा लिया है/नहीं लिया है, जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

(ब्यौरे तथा परिणाम, यदि कोई हों, दें।)

शिकायत पर 1000/- रुपए की आवश्यक जमा राशि के मूल्य की न्यायिक स्टाम्प लगाई जाएगी।

प्रार्थना

इसलिये, अब प्रार्थना है, कि उक्त लोक सेवक के विरुद्ध जांच की जाये।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान।

सत्यापन :

मैं,---, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री --- निवासी, -- पैरा---------------------------------- इसके द्वारा सत्यापित करता हूं कि शिकायत में पैरा ------- से ------- तक मेरे द्वारा बताये गये तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य हैं तथा/अथवा पैरा --------- से ----------- तक मेरे द्वारा बताये गये तथ्य ---------------------- से (नाम दें) तथा/अथवा दस्तावेजों से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं तथा उस पर मैं सत्य होने का विश्वास करता हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

प्ररूप-II

[देखिए नियम 3]

टिप्पणी :—यह शपथ-पत्र 3 रुपए के न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर तैयार करवाया जाना चाहिए तथा तब इसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से सत्यापित करवाया जाना चाहिए।

शपथ-पत्र का प्ररूप

मैं ---------- सुपुत्र/सुपुत्री/धर्मपत्नी श्री---------- व्यवसाय----------, निवासी ---------- ----------, तहसील ----------, जिला ---------- इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं तथा निम्न प्रकार से कथन करता हूं :—

(1) कि मैं इस मामले में शिकायतकर्ता हूं ;

(2) कि इस शिकायत की विवरणियां मेरे द्वारा पढ़ी गई/मुझे पढ़कर सुनाई गई, जिन्हें सुनकर समझी गई तथा ये मेरी पूरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य हैं ;

(3) कि पैरा ---------- से ---------- तक मेरे द्वारा कथित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य हैं तथा पैरा -------- तक में कथित तथ्य श्री ---------- द्वारा मुझे दी गई सूचना तथा/या दस्तावेजों पर आधारित हैं, जिस पर मैं सत्य होने का विश्वास करता हूं।

स्थान :

दिनांक :

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर या
अंगूठे का निशान।

मेरे सामने शपथ-पत्र पर शपथ ली।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकथन की मेरे सामने 200----- के -------- मास ----------वें दिन को--------- बजे जिला ---------- में श्री/श्रीमती/कु०---------- ---------- द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान की घोषणा की गई थी जिसको श्री/श्रीमती ---------- ---------- द्वारा पहचान की गई थी जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता/जानती है। उपरोक्त शपथ-पत्र की विषय वस्तु अभिसाक्षी को पढ़ाई गई तथा समझाई गई, जिसको उसने ठीक तथा सत्य स्वीकार किया।

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकारी का पद नाम जिसके समक्ष
शपथ-पत्र पर शपथ ली है।

प्ररूप संख्या-III

[देखिए नियम 8(1) तथा (2)]

लोकायुक्त के समक्ष साक्ष्य रिकार्ड कराने वाले व्यक्ति को लोकायुक्त के कार्यालय द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप।

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैं---------- ---------- ---------- ---- अपनी लोक/ प्राइवेट हैसियत में -- ---------- के मामले में लोकायुक्त के समक्ष साक्ष्य देने के लिए सम्मन किया गया था तथा ----------दिन अर्थात् ---------- से ---------- तक की अवधि के लिए उपस्थित होने के लिए अपेक्षित था।

2. आगे प्रमाणित किया जाता है कि उसे प्रयोजन के लिए लोकायुक्त के कार्यालय मे हाजिर होने के लिए नियमों के अनुसार निम्नलिखित राशि भुगतान की गई है :—

(i) यात्रा भत्ता रुपए

(ii) निर्वाह भत्ता रुपए

स्थान -------- ------ कृते : लोकायुक्त,

दिनांक ---------- हरियाणा।

प्ररूप संख्या-IV

[देखिए नियम 6(2)]

कार्यालय लोकायुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़।

कार्यवाही संख्या ---------- ---- दिनांक ----------

सेवा में

श्री/श्रीमती ----------

संदर्भ :— आपकी शिकायत दिनांक ----------

आपकी शिकायत दिनांक ---- ---------- विरुद्ध श्री/श्रीमती ---------- में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं। आपसे अनुरोध किया जाता है कि इन कमियों को पूरा करें तथा इस संसूचना की प्राप्ति के बाद पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर नीचे वर्णित गलतियों का सुधार करें, जिसमें असफल रहने पर आपकी शिकायत का उपलब्ध तात्विक आधार पर निपटान कर दिया जाएगा।

विवरण :—

1. प्ररूप-1 पूरा नहीं भरा है।
2. 1000/- रुपये की विहित फीस का भुगतान किया जाना है।
3. शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।
4. विहित प्ररूप-II में शिकायतकर्ता का शपथ-पत्र और/या गवाहों का ब्यौरा संलग्न नहीं किया है।
5. लोक सेवक जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, का पद, नाम तथा पता नहीं दिया गया है।
6. शिकायतकर्ता द्वारा जिन दस्तावेजों को आधार बनाया गया है और जो उसकी अभिरक्षा तथा नियंत्रण में हैं उन दस्तावेजों या उनकी सत्यापित प्रति साथ नहीं लगाई गई है।
7. दस्तावेजों का वर्णन जिनके आधार पर शिकायत की गई है शिकायतकर्ता की अभिरक्षा या नियन्त्रण में नहीं है, के विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
8. वांछित दस्तावेजों और शपथ-पत्र की अपेक्षित प्रतियां संलग्न नहीं की गई हैं।
9. अन्य कारण।

भवदीय

रजिस्ट्रार,
कृते: लोकायुक्त, हरियाणा।

प्ररूप संख्या-V

[देखिए नियम 6(4)]

कार्यालय लोकायुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़।

कार्यवाही संख्या ---------- दिनांक ---

सेवा मे

श्री/श्रीमती ----

संदर्भ :— आपकी शिकायत दिनांक ----

आपकी शिकायत दिनांक ---------- जिसमें श्री/श्रीमती ---के विरुद्ध लगाए गए हैं नीचे वर्णित कारणों से रद्द की जाती है।

शिकायत रद्द करने के कारण :—

1. जो त्रुटियां और/या कमियां कार्यवाही संख्या----------दिनांक---------- में पाई गई थीं वह आप द्वारा दूर नहीं की गई हैं।
2. शिकायत ऐसे किसी आरोप का खुलासा नहीं करता जिसकी अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा की जा सके।
3. शिकायत का अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
4. शिकायतकर्ता के पास अन्य उपचार उपलब्ध हैं और मामले की परिस्थितियों के अनुसार यह उचित होगा कि शिकायतकर्ता ऐसे उपायों का प्रयोग करे।
5. लोक सेवक जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, लोकायुक्त द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती है।
6. शिकायत ऐसे मामले में, जिसे घटित हुए छः वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, के बाद की गई है।
7. पूर्व शिकायत जो कि उन्हीं दोषों पर आधारित थी जो वर्तमान शिकायत में लगाए गए है, लोकायुक्त या अन्य प्राधिकारी- ----------द्वारा कार्यवाही संख्या ----- दिनांक ----------द्वारा निपटाई जा चुकी है।
8. 1000/- रुपये की विहित फीस का भुगतान नहीं किया गया है।

लोकायुक्त, हरियाणा।

प्ररूप संख्या-VI

[देखिए नियम 14(1)(क)]

लोकायुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ की कार्यवाही

संख्या ---------- दिनांक----------

सेवा में

श्री/श्रीमती ----------

संदर्भ :— शिकायत संख्या ---------- दिनांक ---------- 200 .

उपरोक्त शिकायत के प्रारम्भिक सत्यापन के बाद माननीय लोकायुक्त इसके अन्वेषण के संचालन के लिए प्रस्तावित करते हैं। इसलिए आपको अपनी टीका टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है :

(i) शिकायतकर्ता द्वारा श्री/श्रीमती ----------के विरुद्ध भेजी गई शिकायत दिनांक ---------- की एक प्रति तथा उस द्वारा दिए गए शपथ पत्रों की प्रतियां संलग्न की जा रही हैं;

(ii) संलग्न ब्यान जिसमें आपके विरुद्ध दोष लगाया गया है, में दिए गए तथ्यों के आधार पर माननीय लोकायुक्त स्वप्रेरणा से इसमे वर्णित आधारों के लिए अन्वेषण करने का प्रस्ताव करते हैं;

(iii) कार्य, जिसके सम्बन्ध में महामहिम हरियाणा के राज्यपाल अपेक्षा करते हैं कि माननीय लोकायुक्त संलग्न प्रति के अनुसार अन्वेषण का संचालन करें।

इसलिए आप जिन गवाहों की जांच करना चाहते हैं तथा अन्वेषण में आगे कार्यवाही करने से पूर्व आदेश दिए जाते हैं कि उनके मूल दस्तावेजों सहित (तीन प्रतियों में) उपरोक्त अनुसार ----------को 10.30 प्रात: माननीय लोकायुक्त महोदय के कार्यालय में जांच शुरु होने से पहले प्रस्तुत करें।

आप किसी और लोक सेवक या कानूनी सलाहकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

यदि आप पूर्वोक्त रीति में पेश होने में तथा यथा-पूर्वोक्त अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो आगे अन्वेषण उपलब्ध तात्विक आधारों पर किया जाएगा।

रजिस्ट्रार,

कृते: लोकायुक्त, हरियाणा।